.

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550 (O)

क्रमांक : एफ 7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2024/03395

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध/सेमेस्टर–प्रथम) में रिक्त स्थानों के लिए ऑफलाईन प्रवेश कार्यक्रम बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध/सेमेस्टर–प्रथम) नियमित और एस.एफ.एस. पाठयक्रमों में ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन द्वारा प्रवेश प्रक्रिया की गई थी परन्तु कुछ महाविद्यालयों द्वारा शेष रहे रिक्त स्थानों को भरने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः छात्रहित को ध्यान में रखते हुए, रिक्त स्थानों के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाईन आवेदन प्रपत्र (Common Admission Form) के माध्यम से दिनांक 05.12.2024 तक प्राप्त कर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रवेशित विद्यार्थियों के डाटा को ऑनलाईन एडमिशन पोर्टल पर इन्द्राज करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी https://dceapp.rajasthan.gov.in/ साईट से एकीकृत प्रवेश आवेदन प्रपत्र (Common Admission Form) डाउनलोड कर पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र महाविद्यालय में जमा करवाये।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया में हुये विलम्ब के कारण शिक्षण कार्य में आये व्यवधान से कार्य दिवसों की क्षतिपूर्ति के लिए प्राचार्य अपने स्तर पर नियमानुसार अतिरिक्त कक्षाऐं लगवाकर अकादमिक सत्र में शैक्षणिक कार्य दिवस पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त प्रवेश कार्यक्रम हेतु प्राचार्य अपने स्तर पर विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें।

जिन महाविद्यालयों के संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, (अकादमिक)

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. नोडल अधिकारी (ऑनलाईन प्रवेश), आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को भेजकर लेख है कि ऑनलाईन प्रवेश संबंधित कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, (अकादमिक)

Signature valid
Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2024.11.26 20:59:41 IST
Reason: Approved